ई-मेल Email

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक–जी0ओ0–22/डीआरडीए (प्रशा0)/बजट/लेखा पेंशन/2010 दिनांकः 1 जून मई, 2010

विषय– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–डी0–410/38–2–2010–2(82)डी/2009, दिनांक 27–4–2010 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डी0आर0डी0ए0 (प्रशा0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान संख्या–13 में प्रावधानित धनराशि रू0 19,52,31,000/– (रूपये उन्नीस करोड़ बावन लाख इकतीस हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन माह की आवश्यकता के लिए रू0 4,88,00,000/– (रूपये चार करोड़ अट्ठासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है । शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही हैः–

1– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी0–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 के प्रस्तर–2(11) के अनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त आहरण न किया जाय तथा धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा एवं उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26–3–2010 में दिये गये अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

2– उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा ।

3– योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा । धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशा0) योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिए संबंधित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे । यदि कभी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जायेगी ।

4– आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर मांग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को आवंटित की जायेगी । धनराशि का आवंटन भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जाये ।

5– केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके ।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

6– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–09–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के0–75/रा0–25–रा0)–43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान" के नामे डाला जायेगा ।

7– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर – आयोजनागत के पृष्ठ संख्या–178 पर कर ली गयी है ।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–8) डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन सहित आहरण के अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0 ।

पत्रांक–जी0ओ0–22/डीआरडीए(प्रशा0)/बजट/लेखा पेंशन/2010 – तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
4– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–2/3, उ0प्र0 शासन ।
5– संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
7– नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन ।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
9– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0 ।
10– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
11– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
12– गार्ड फाइल हेतु ।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0 ।

168/A.C(A)/2010
30.4.2010

संख्या-9410 /38-2-2010-2 (82)डी/2009

जी0ओ0 22/डी0पी0/2010
30-4-2010

प्रेषक,

**सीताराम यादव,**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

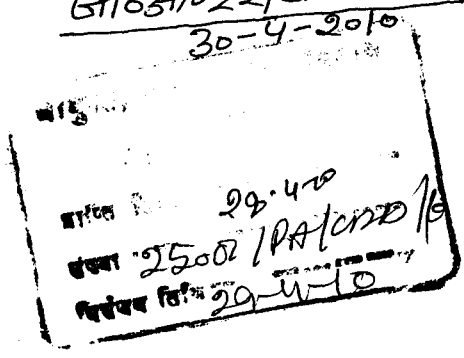

संख्या 2500/PA/CRD
दिनांक 29.4.10

ग्राम्य विकास अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 27 अप्रैल, 2010

विषयः- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-349/डीआरडीए(प्रशा0)/लेखा-पेंशन/2010, दिनांक 12-4-2010, पत्र संख्या-जीओ-16/डीआरडीए(प्रशा0)/लेखा-पेंशन/2010, दिनांक-13-4-2010 तथा पत्र संख्या-जीओ-20/लेखा-पेंशन/2009-10, दिनांक 21-4-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये अनुदान संख्या-13 में रू0 19,52,31,000/-(रूपये उन्नीस करोड़ बावन लाख इकतीस हजार मात्र) की बजट व्यवस्था हुई है।

2- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये हुई बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास की आवश्यकता के लिये रू0 4,88,00,000/-(रूपये चार करोड़ अट्ठासी लाख मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनु-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26-3-2010 के प्रस्तर-2 (11) के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण न किया जाय तथा धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा एवं उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26-3-2010 में दिये गये अन्य निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों/शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

5- योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

6- अवमुक्त की जा रही धनराशि रू0 4,88,00,000/-(रूपये चार करोड़ अट्ठासी लाख मात्र) से जनपदों को प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी, जिससे जिलाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रशासन मद योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जनपदों द्वारा निर्धारित परिव्यय

अपर आयुक्त (लेखा)

28.4.2010
(अनुराग यादव)
प्रभारी आयुक्त
ग्राम विकास, उ0प्र0

CAO

GO-11

की सीमा के भीतर ही किया जायेगा। परिव्यय कम होने की स्थिति में अतिरिक्त परिव्यय हेतु शासन को सूचित किया जायेगा।

7– केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे भारत सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की कटौती न की जा सके। वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि 31 मार्च, 2011 को समर्पित कर दी जायेगी।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखाशीर्षक–" 2501–ग्राम्य विकास के लिये विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–09–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के0–75/रा0–25–रा0) 43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान " के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

26-5-10

( सीताराम यादव )
संयुक्त सचिव।

संख्या-2410 (1)/38–2–2010, तद् दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
2– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु–2
3– वित्त (आय–व्ययक) अनु–2
4– राज्य योजना आयोग–1/2
5– नियोजन अनुभाग–3
6– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
7– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8– समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
13– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
14– गार्डबुक।

आज्ञा से,

( सीताराम यादव )
संयुक्त सचिव।

पत्रांक–जी0ओ0–22/डीआरडीए (प्रशा0)/बजट/लेखा–पेंशन/2010, दिनांक 1-जून ~~मई~~ 2010

का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपयें मे)

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | आवंटित धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | आगरा | 10.35 |
| 2 | अलीगढ़ | 8.00 |
| 3 | इलाहाबाद | 7.59 |
| 4 | अम्बेडकरनगर | 3.34 |
| 5 | औरैया | 4.99 |
| 6 | आजमगढ़ | 10.49 |
| 7 | बदायूं | 6.07 |
| 8 | बागपत | 3.34 |
| 9 | बहराईच | 6.76 |
| 10 | बलिया | 7.86 |
| 11 | बलरामपुर | 3.88 |
| 12 | बांदा | 8.46 |
| 13 | बाराबंकी | 8.94 |
| 14 | बरेली | 7.80 |
| 15 | बस्ती | 6.85 |
| 16 | संतरबिदासनगर | 3.79 |
| 17 | बिजनौर | 7.74 |
| 18 | बुलन्दशहर | 7.68 |
| 19 | चन्दौली | 3.34 |
| 20 | चित्रकूट | 3.09 |
| 21 | देवरिया | 6.34 |
| 22 | एटा | 7.35 |
| 23 | इटावा | 5.96 |
| 24 | फैजाबाद | 7.88 |
| 25 | फर्रूखाबाद | 6.27 |
| 26 | फतेहपुर | 7.43 |
| 27 | फिरोजाबाद | 6.96 |
| 28 | गौतमबुद्धनगर | 2.78 |
| 29 | गाजियाबाद | 5.92 |
| 30 | गाजीपुर | 7.47 |
| 31 | गोण्डा | 9.15 |
| 32 | गोरखपुर | 7.66 |
| 33 | हरदोई | 4.83 |
| 34 | महामाया नगर | 3.34 |
| 35 | ज्योतिबाफूलेनगर | 4.04 |
| 36 | जौनपुर | 9.66 |
| 37 | झांसी | 6.41 |
| 38 | कन्नौज | 3.34 |
| 39 | कानपुर देहात | 8.86 |

| | | |
|---|---|---|
| 40 | कानपुर नगर | 9.11 |
| 41 | कांशीराम नगर | 3.70 |
| 42 | कौशाम्बी | 3.34 |
| 43 | लखीमपुर खीरी | 9.64 |
| 44 | कुशीनगर | 6.43 |
| 45 | ललितपुर | 7.39 |
| 46 | लखनऊ | 8.53 |
| 47 | महराजगंज | 4.77 |
| 48 | महोबा | 3.07 |
| 49 | मैनपुरी | 9.00 |
| 50 | मथुरा | 7.71 |
| 51 | मऊ | 7.08 |
| 52 | मेरठ | 8.47 |
| 53 | मिर्जापुर | 8.75 |
| 54 | मुरादाबाद | 7.53 |
| 55 | मुजफ्फरनगर | 10.44 |
| 56 | जालौन | 10.34 |
| 57 | पीलीभीत | 6.31 |
| 58 | प्रतापगढ़ | 7.35 |
| 59 | रायबरेली | 6.95 |
| 60 | रामपुर | 6.87 |
| 61 | हमीरपुर | 6.63 |
| 62 | सहारनपुर | 9.92 |
| 63 | संतकबीरनगर | 3.34 |
| 64 | शाहजहॉपुर | 8.25 |
| 65 | सिद्धार्थनगर' | 9.12 |
| 66 | सीतापुर | 10.53 |
| 67 | श्रावस्ती | 2.70 |
| 68 | सुल्तानपुर | 8.20 |
| 69 | सोनभद्र | 7.34 |
| 70 | उन्नाव | 9.04 |
| 71 | वाराणसी | 8.14 |
| | योग– | 488.00 |

(रूपये चार करोड़ अट्ठासी लाख मात्र)

( महेश कुमार अग्निहोत्री )
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।